

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक— ५१२७ /२२-२, मुरादाबाद, दिनांक, मार्च— १६ ०१६

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :— मैं ० एसार ऑयल लिमिटेड नोयडा द्वारा नहटौर-नूरपुर-जोगा-अमरेहा मार्ग कि०पी० २६.४०० की दायी पटरी पर ग्राम आजमगढ उर्फ रतनगढ तहसील चॉदपुर जिला बिजनौर के खसरा संख्या-१४७ में प्रस्तावित पैट्रोल पम्प रिटेल आउटलेट प्रभावित वनभूमि ०.०७५१ है। बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :— आपका पत्रांक— ८१ टी०सी०/बिजनौर/१५७९७/यू०पी०-१६२/२०१५, दि० ७-०१-२०१६
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि आपके द्वारा उक्त प्रस्ताव में आपत्तियां इंगित की गयी थी। इसी कम में आपत्तियों का निस्तारण प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर ने अपने पत्रांक—३००३/१४-१, दिनांक ११-०३-२०१६ के द्वारा कर दिया गया है।

अतः प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त होने पर पुनः संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक— यथोपरि।

भवदीय,

४

(कमलेश कुमार)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,

२८ मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक— /२२-२, उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि :— प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर को उनके उक्त पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(कमलेश कुमार)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,

मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।